पत्रांक-भवन/बजट-65-योजना(विधि)-03/2019-20. . . .10606 (11)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले एवं हक), बिहार,**

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक:- 12/11/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2026-27** में कुल राशि **₹ 23,26,296/- (तेईस लाख छब्बीस हजार दो सौ छियानवे रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, सहरसा द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल **₹ 23,26,296/- (तेईस लाख छब्बीस हजार दो सौ छियानवे रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026-27** में प्रदान की जाती है :-

| क्रमांक | प्रमंडल का नाम | अधियाचना आई0डी0 | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक | वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | विद्युत कार्य प्रमंडल,, सहरसा | 35063 | Estimate for Additional wiring for UPS in each court room of 16 court, 08 court and FTC building Supaul, District-Supaul | 5244/ 06.07.26 | 963148 (नौ लाख तिरेसठ हजार एक सौ अड़तालीस रूपये) |
| 02 | विद्युत कार्य प्रमंडल, सहरसा | 35195 | Provision to SITC of Microphone Audio System at Meeting Hall in 16 Court Building Supaul, District-Supaul | 874/ 02.02.26 | 1363148 (तेरह लाख तिरेसठ हजार एक सौ अड़तालीस रूपये) |
| | | | कुल राशि:- | | 2326296 |

**(तेईस लाख छब्बीस हजार दो सौ छियानवे रूपये)**

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0105-न्यायिक भवन हेतु (विधि विभाग के लिए) **विपत्र कोड-03-4059800510105** के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2026-27** में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत भवन प्रमंडल, सहरसा, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी ।
5. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:- 10606 (11) पटना, दिनांक:- 12/11/26

**प्रतिलिपि:-**सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।